



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या -
डी-3/ई-1/2023
दिनांक 14.06.2023

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 14.07.2023
आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 14.07.2023
आवेदन पत्रों की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि : 28.07.2023

महत्वपूर्ण:

- (1) आनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण (One Time Registration) करना अनिवार्य है।
- (2) "अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।"
- (3) "किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।"
- (4) "अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R. फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान इत्यादि) की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।"

नोट- अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर आवेदन करने के पश्चात् दिनांक 28.07.2023 सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्याय का प्रारूप निम्नवत् है:-

Advertisement No. : D-3/E-1/2023
Post Name :
Deptt. No. :
O.T.R. No./Application ID :
To,
The Secretary,
Uttar Pradesh Public Service Commission
10, Kasturba Gandhi Marg, Prayagraj, U.P.
Pin Code-211018

From
Name & Address of the Candidate

उक्त उल्लिखित पते की पर्याय को अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चरमा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑन-लाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। **(ख)** अभ्यर्थियों को उनके द्वारा O.T.R. में पंजीकृत मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/ निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "आन-लाइन आवेदन पद्धति" (O.T.R. धारित **ON-LINE APPLICATION**) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1- आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENTS स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। Apply पर Click करके "आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) करना अनिवार्य है।

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर सीधी भर्ती के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

(i)- 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल नं०) अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से O.T.R. Number को Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें

(जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल सम्बन्धित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी। (ii)- 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो :- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in/**) से पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

चतुर्थ चरण- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अभ्यर्थी OTR Dashboard में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा, किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में Home Page के 'Modify Submitted Application' में जाकर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में संशोधन कर सकते हैं।

2- आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार/उप श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

- अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग- आवेदन शुल्क ₹ 80/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/-
- अनुसूचित जाति/ - आवेदन शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया अनुसूचित जन जाति शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- दिव्यांग श्रेणी - आवेदन शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-
- भूतपूर्व सैनिक - आवेदन शुल्क ₹ 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/-
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला/ कुशल खिलाड़ी

3- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नोट: ऑनलाइन आवेदन के जाँचोपरान्त यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में किये गये शैक्षिक अर्हता के दावे तथा Submit हार्ड कापी के साथ संलग्न शैक्षिक अर्हता के अभिलेख की प्रतियों में भिन्नता की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया जैसा कि पूर्वोक्त प्रस्तर चार में विहित है अतः इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०

- पद का नाम- वैज्ञानिक अधिकारी
- रिक्तियों की संख्या = 41

क्र.सं.	वैज्ञानिक अधिकारी (स्पेशियलिस्ट)	पदों की संख्या	विभाग संख्या
1	जीव विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र	22	सेवा-1/01
2	कम्प्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र/प्रक्षेत्र	09	सेवा-1/02
3	भौतिकशास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र	06	सेवा-1/03
4	रसायनशास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र	03	सेवा-1/04
5	आचार विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र	01	सेवा-1/05
	कुल पद	41	

3. पद का स्वरूप- राजपत्रित, 4. आरक्षण- विद्यमान नियमानुसार आरक्षण देय है, 5. वेतनमान- लेवल-10 (56100-177500), 6. आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।) 7. शैक्षिक अर्हताएँ- (अ) अनिवार्य अर्हतायें- (क) (1) जीव विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र- जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/विधि विज्ञान में एम०एस०सी०/एम०टेक०। (2) कम्प्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र/प्रक्षेत्र- कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन में बी०टेक अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा एम०सी०ए०। (3) भौतिकशास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र- भौतिक शास्त्र/विधि विज्ञान/गणित में एम०एस०सी०/एम०टेक०। (4) रसायनशास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र- रसायन शास्त्र/विधि विज्ञान में एम०एस०सी०/एम०टेक०। (5) आचार विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र- मनोविज्ञान/फोरेंसिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा मनोरोग विज्ञान (साइकाइअट्रिक) में एम०डी०। (ख) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान में सुसंगत विषयों में कम से कम तीन वर्षों का विश्लेषणात्मक अथवा अनुसंधान सम्बन्धी अनुभव। (ब) अधिमानी - 1. सुसंगत विषय में पी०एच०डी०। 2. असत्य का पता लगाने वाले (लाई डिटेक्शन) क्षेत्र हेतु- पालीग्राफ का उपयोग

करने का अनुभव। (केवल आचार विज्ञान क्षेत्र हेतु) अधिमानी अर्हताएँ - ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ०प्र० विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016
- उ०प्र० विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश

01 (एक) पद (अनारक्षित), खान अधिकारी, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रूपये 56,100- 1,77,500), विभाग संख्या- एस-6/02, शैक्षिक अर्हताएँ- अनिवार्य अर्हतायें- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियंत्रण में उपाधि या खनिकर्म प्रचालन के पर्यवेक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और खनिज रियायत कार्य को व्यवहृत करने में दो वर्षों का अनुभव। अधिमानी अर्हताएँ- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, यदि वह :- (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर में "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है)।

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ०प्र० भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह- 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली-2019
- उ०प्र० भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह- 'क' एवं 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021

उ०प्र० चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

174 (एक सौ चौहत्तर) पद, दन्त सर्जन, पद का स्वरूप- राजपत्रित, आरक्षण- विद्यमान नियमानुसार आरक्षण देय है, वेतनमान- लेवल-10 रु० 56100-177500, विभाग संख्या- सेवा- 08/03, शैक्षिक अर्हताएँ- (अ) अनिवार्य अर्हतायें- 1. अभ्यर्थी कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०डी०एस० (दन्त शल्य-चिकित्सा का स्नातक) की उपाधि या इंडियन डेंटल काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रखता हो। (ब) अधिमानी अर्हताएँ - ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। आयु सीमा- 21 वर्ष से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।) नोट:- अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-128/पाँच-5-2023, दिनांक 23.02.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत पद हेतु कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है।

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979
- उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998
- उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017

उ०प्र० आयुष (आयुर्वेद) विभाग

- पद का नाम- लेक्चरर
- रिक्तियों की संख्या = 127

क्र.सं.	लेक्चरर (स्पेशियलिस्ट)	पदों की संख्या	विभाग संख्या
1	शल्य तंत्र	10	सेवा-9/07
2	रचना शारीर	14	सेवा-9/08
3	रोग निदान	06	सेवा-9/09
4	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	09	सेवा-9/10
5	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	10	सेवा-9/11
6	द्रव्यगुण	14	सेवा-9/12
7	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	17	सेवा-9/13
8	क्रिया शारीर	19	सेवा-9/14
9	शालाक्य तंत्र	10	सेवा-9/15
10	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	05	सेवा-9/16
11	स्वस्थयुत	06	सेवा-9/17
12	कायचिकित्सा	07	सेवा-9/18
	कुल पद	127	

3. पद का स्वरूप- राजपत्रित, 4. आरक्षण- विद्यमान नियमानुसार आरक्षण देय है, 5. वेतनमान- रु० 56100- 177500 (लेवल-10), 6. आयु सीमा- 25 वर्ष से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।) 7. शैक्षिक अर्हताएँ- (अ) अनिवार्य अर्हतायें- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० या किसी अन्य राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है, से आयुर्वेद में 05 वर्ष की उपाधि। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी - 1. शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। अधिमानी अर्हताएँ - ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश आयुष (होम्योपैथी) विभाग

1. पद का नाम— होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी एवं आवासीय चिकित्साधिकारी
2. रिक्तियों की संख्या = 23
विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है—

क्र.सं.	(स्पेशियलिस्ट)	पदों की संख्या	विभाग संख्या
1	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	08	सेवा-11/02
2	होम्योपैथिक आवासीय चिकित्साधिकारी	15	सेवा-11/03
कुल पद		23	

3. पद का स्वरूप— समूह— 'ख' राजपत्रित, 4. आरक्षण— विद्यमान नियमानुसार आरक्षण देय है, 5. वेतनमान— लेवल-10, वेतन बैंड रु0 15600-39100, ग्रेड वेतन रु0 5400/-, 6. आयु सीमा— 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।) 7. शैक्षिक अर्हताएँ— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ— 1. होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री, जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य-विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 05 वर्ष से कम न हो या होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा, जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य-विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 04 वर्ष से कम न हो। 2. प्रार्थी को होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 से सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ब) अधिमान अर्हताएँ— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (प्रथम संशोधन), नियमावली, 1991
- उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (द्वितीय संशोधन), नियमावली, 1996
- उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (तृतीय संशोधन), नियमावली, 2016
- उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (चतुर्थ संशोधन), नियमावली, 2016

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

26 (छब्बीस) पद, यूनानी चिकित्साधिकारी, पद का स्वरूप— राजपत्रित, आरक्षण— विद्यमान नियमानुसार आरक्षण देय है, वेतनमान— लेवल-10 (रु0-56,100-1,77,500), विभाग संख्या— सेवा-11/04, शैक्षिक अर्हताएँ— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ— 1. भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 की यूनानी तिब में पाँच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा। 2. भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण। 3. राज्य के यूनानी/एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः माह का व्यावसायिक अनुभव। (ब) अधिमान— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि। आयु सीमा— 21 से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।)

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा (प्रथम संशोधन), नियमावली, 1991
- उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा (द्वितीय संशोधन), नियमावली, 1992
- उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा (तृतीय संशोधन), नियमावली, 2003

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद, रीडर कुल्लियात-01 पद (अनारक्षित), पद का स्वरूप— राजपत्रित, वेतनमान— लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700, विभाग संख्या— सेवा- 11/05, शैक्षिक अर्हताएँ— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ— रीडर कुल्लियात — 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/ बोर्ड या संकाय की पाँच वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम-1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का सात वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल पाँच वर्ष)। 3. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमान— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। अधिमान अर्हताएँ— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। आयु सीमा— 28 वर्ष से 45 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।)

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2008

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद, रीडर अमराजे जिल्द व तजीनियत-01 पद (अनारक्षित), पद का स्वरूप— राजपत्रित, वेतनमान— लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700, विभाग संख्या— सेवा- 11/06, शैक्षिक अर्हताएँ— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ— रीडर अमराजे जिल्द व तजीनियत — 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय की पाँच वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम-1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संबंधित विषय के अध्यापन का सात वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल पाँच वर्ष)। 3. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमान— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। अधिमान अर्हताएँ— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा। आयु सीमा— 28 वर्ष से 45 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।)

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2008

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद (अनारक्षित), प्रवक्ता अरबी, पद का स्वरूप— राजपत्रित, वेतनमान— लेवल-10 वेतनबैंड— 15600-39100 ग्रेड वेतन-5400/-,

विभाग संख्या— सेवा- 11/07, शैक्षिक अर्हताएँ— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ— 1. अरबी में एम0ए0 (प्रथम श्रेणी में)। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। 3. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमान— 1. अरबी में पी0एच0डी0। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। अधिमान अर्हताएँ— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। आयु सीमा— 25 वर्ष से 40 वर्ष। (नियमानुसार आयु में छूट देय है।)

पद की संगत सेवा नियमावलिाँ

- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2008

नोट:- उपर्युक्त विज्ञापित पदों के रिक्तियों की संख्या आवश्यकता/ परिस्थितिनुसार घट/बढ़ सकती है।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की

अन्तिम तिथि : 14.07.2023

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की

अन्तिम तिथि : 14.07.2023

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपूर्ण तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2023 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमत्य होगी) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या-1508/15-08-2015-3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। उ0प्र0 के आपत कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमत्य है।

5. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:-

(I) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

8. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रकिया में Payment करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों

(Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या-22/21/1983-का-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या- 22/16/92-टी.सी.-III/का-2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

13.7 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक- 18 अप्रैल 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक- 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/ का-2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है" को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारतीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

16. किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा O.T.R./Application ID नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

19. यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Sync. करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि

सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
 20. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के "मेल बॉक्स" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।
 21. जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्रस्तांक न दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS

- All Notification / Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर.....
 दिनांक पूरा नाम.....
 मुहर पद नाम.....
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद नाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
 आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ
 पूरा नाम
 पदनाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र स्वयं घोषण पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।
 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और

विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

Form-II Certificate of Disability (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
 (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:
 This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

- (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)
 (B) The diagnosis in his/her case is
 (A) he/she has% (in figure)percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
 2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
(Dr.....) Member with seal	(Dr.....) Member with seal	(Dr.....) Chairperson with seal
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	

Form-III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the

table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)**

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/ female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the

relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

- (i) not necessary, or
- (ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरान्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर
दिनांक: पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव